प्रेस प्रकाशनी *

मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीआरआर घटाने की घोषणा की मौद्रिक/ चलनिधि उपाय

9 मार्च 2012

यह निर्णय लिया गया है कि :

- 10 मार्च 2012 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 75 आधार अंकों से घटाते हुए उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं के 5.5 प्रतिशत से 4.75 प्रतिशत किया जाए।

सीआरआर घटाने से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹480 बिलियन की प्राथमिक चलनिधि डाली जाएगी।

सख्त चलनिधि परिस्थितियों को कम करने के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात जनवरी 2012 की तीसरी तिमाही समीक्षा (टीक्यूआर) में 50 आधार अंकों से घटाया गया था जिससे बैंकिंग प्रणाली में ₹315 बिलियन की प्राथमिक चलनिधि डाली गई थी। रिज़र्व बैंक ने खुले बाज़ार परिचालनों को भी जारी रखा जिससे अब तक इस वित्तीय वर्ष में ₹1,245 बिलियन से अधिक प्राथमिक चलनिधि डाली गई जिसमें से ₹528 बिलियन तीसरी तिमाही समीक्षा के बाद डाली गई।

इन उपायों के बावजूद ढाँचागत और प्रतिरोधात्मक दोनों कारकों के कारण चलनिधि घाटा अधिक बना रहा। यह जनवरी 2012 में ₹1,292 बिलियन से फरवरी में ₹1,405 बिलियन की एक औसत से उभरी रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निवल औसत उधार को दर्शाता है। चलनिधि समायोजन सुविधा के माध्यम से डाली गई निवल चलनिधि 1 मार्च 2012 को ₹1,917 बिलियन पर उच्चतम रही, हालांकि उसके बाद यह 7 मार्च 2012 को ₹1,273 बिलियन तक कम हुई।

आगे, अग्रिम कर बर्हिवाह और बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास नकदी शेष के सामान्य फ्रंट लोडिंग के कारण चलनिधि घाटा के मार्च के दूसरे सप्ताह के दौरान उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की संभावना है। अतः प्रणाली में समग्र घाटा रिज़र्व बैंक के सुगमता स्तर से अधिक बना हुआ है। तदनुसार, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को सुगम ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात को घटाकर प्रणाली में स्थायी प्राथमिक चलनिधि डालने का निर्णय लिया गया।

पहले की गई घोषणा के अनुरूप 15 मार्च 2012 को जारी की जाने वाली अपनी मध्य-तिमाही समीक्षा में रिज़र्व बैंक समष्टि आर्थिक स्थिति का अपना आकलन प्रस्तुत करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्णा वैली को-आपरेटिव बैंक लि., कुपवाड़, सांगली (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द किया

12 मार्च 2012

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कृष्णा वैली को-आपरेटिव बैंक लि., कुपवाड़, सांगली, (महाराष्ट्र) अर्थक्षम नहीं रह गया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 मार्च 2012 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। निबंधक, सहकारी समितियां, महाराष्ट्र से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए 26 फरवरी 1998 को लाइसेंस मंजूर किया गया था। बैंक के 31 मार्च 2003 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण निष्कर्षों के आधार पर अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)(अधिनियम) की धारा 35 ए के अंतर्गत बैंक को

* मार्च 2012 की महत्त्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनियां

26 दिसंबर 2003 से सर्वसमावेशी निदेशाधीन रखा गया। बैंक का निदेशक मंडल प्रभावी नहीं रहा तथा वह बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के लिए कारण था और उन्होंने जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध बैंक का कार्यकलाप किया। आरसीएस द्वारा बैंक का निदेशक मंडल 26 दिसंबर 2003 को अधिक्रमित किया गया तथा बैंक का कारोबार देखने के लिए प्रशासक की नियुक्ति की गयी।

इसके बाद के निरीक्षण में यह पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हो गयी है। 31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि पहले पास गए उल्लंघनों में से लगभग सभी उल्लंघन जारी रहे तथा बैंक के वित्तीय मानदण्ड और अधिक खराब हुए। 31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति के लिए किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों के अनुसार बैंक की मूल्यांकित निवल संपत्ति (-) ₹407.71 लाख पर ऋणात्मक थी, मूल्यांकित सीआरएआर (-) 532.2% तथा सकल एनपीए सकल अग्रिम की ₹319.06 लाख (100%) थी। कुल जमाराशि ₹559.90 के 72.8% जमाराशि का ह्रास हुआ। बैंक अपेक्षित सीआरआर भी नहीं रख रहा था और इस प्रकार यह अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

उपर्युक्त बतायी गयी गंभीर अनियमितताओं से यह पता चला कि बैंक का कारोबार जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध हो रहा था। बैंक अधिनियम की धारा 11(1), 18, 22(3)(ए) और 22(3)(बी) का अनुपालन नहीं कर रहा था। 29 नवंबर 2011 को बैंक को कारण बताओ सूचना जारी करते हुए पूछा गया कि अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत 26 फरवरी 1998 को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए उसे जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। 27 दिसंबर 2011 को बैंक द्वारा दिए गए जवाब की जांच की गयी तथा उसे संतोषजनक नहीं पाया गया। बैंक के पास पुनरुज्जीवन या विलयन की कोई सक्षम योजना भी नहीं थी।

बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित निधि का वसूली योग्य मूल्य ऋणात्मक था तथा बैंक के पुनरुज्जीवन की संभावना नहीं थी। पुनरुज्जीवन / विलयन की योजना के अभाव में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द होने तथा परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कृष्णा वैली को-आपरेटिव बैंक लि., कुपवाड, सांगली, (महाराष्ट्र) के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अनुसार बीमाकृत राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरुप कृष्णा वैली को-आपरेटिव बैंक लि., कुपवाड, सांगली, (महाराष्ट्र) को अधिनियम की धारा 5(बी) के अंतर्गत यथापरिभाषित 'बैंकिंग व्यवसाय' करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती के.एस.ज्योत्सना, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क का विवरण नीचे दिया गया है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, गारमेंट हाउस, डॉ. ए.बी.रोड, वरली, मुंबई - 400018 टेलीफोन सं. : (022) 24920225 फैक्स सं. : (022) 24935495.

तिमाही के मध्य में मौद्रिक नीति की समीक्षा : मार्च 2012

15 मार्च 2012

मौद्रिक और चलनिधि उपाय

वर्तमान समष्टि आर्थिक आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि :

- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं का 4.75 प्रतिशत रखते हुए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए; और
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर में कोई परिवर्तन किए बिना इसे 8.5 प्रतिशत रखा जाए।

इसके परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर अपरिवर्तित रहते हुए 7.5 प्रतिशत बनी रहेगी तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 9.5 प्रतिशत रहेगी।

परिचय

2. रिज़र्व बैंक ने आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 75 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 10 मार्च 2012 से 5.5 प्रतिशत से घटाकर 4.75 प्रतिशत कर दिया है। इस उपाय की आवश्यकता आने वाली इस निर्धारित तिमाही मध्य की समीक्षा के कारण हुई ताकि रिज़र्व बैंक

के सुविधाजनक स्तर से अधिक जारी संरचनात्मक चलनिधि घाटे का समाधान किया जा सके जो अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण 12-16 मार्च के सप्ताह के दौरान और खराब हो गया होता।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

3. रिज़र्व बैंक की 24 जनवरी 2012 की तीसरी तिमाही समीक्षा के बाद से वैश्विक समष्टिआर्थिक स्थिति में बहुत हल्का सुधार हुआ है। अमरीकी अर्थव्यवस्था के लिए हाल के समष्टिआर्थिक आँकड़े कुछ सकारात्मक संकेत दर्शाते हैं। विशेषकर, श्रम बाज़ार की स्थितियां सुधरी हैं। तथापि, अमरीकी फेडरल को यह आशा है कि आर्थिक स्थितियां विशिष्ट रूप से फेडरल निधि दर के लिए कम-से-कम 2014 के अंत में न्यूनतम स्तरों की ज़रूरत दर्शाती है।

4. यूरो क्षेत्र में तात्कालिक वित्तीय बाज़ार दबाव, यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) द्वारा दो दीर्घावधि पुनर्वित्तीय परिचालनों के माध्यम से एक ट्रिलियन से अधिक चलनिधि डालने के कारण, कुछ हद तक कम हुए हैं। तथापि, यूरो क्षेत्र में वृद्धि चौथी तिमाही में नकारात्मक हो गई है। उभरती हुई और विकसित अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मंदी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिणामतः वर्ष 2012 और 2013 के लिए वैश्विक वृद्धि पूर्व में की गई अपेक्षा से कम रहने की आशा है।

5. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती हुई और विकसित अर्थव्यवस्थाएं दोनों में मुद्रास्फीतिकारी दबाव, घटती हुई घरेलू मांग तथा गैर-ईंधन पण्यों की कीमतों में सुधार के कारण, वर्ष 2011 के अंत में नरम हुए। तथापि, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें अचानक तेज़ी से बढ़ी हैं जो भौगोलिक राजनीतिक चिंताओं और स्थिर वैश्विक चलनिधि दोनों में दिखाई देती हैं जिससे वृद्धि और मुद्रास्फीति के प्रति जोखिम को बल मिल रहा है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

वृद्धि

6. सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि [वर्ष-दर-वर्ष आधार पर] मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधि में मंदी को दर्शाते हुए वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही में 6.9 प्रतिशत से घटकर तीसरी तिमाही में 6.1 प्रतिशत हो गई। व्यय पक्ष की ओर वृद्धि में नरमी मुख्य रूप से निवेश गतिविधि में गिरावट तथा कमज़ोर बाह्य मांग के कारण हुई। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने वर्ष 2011-12 के लिए संपूर्ण वर्ष में वृद्धि को 6.9 प्रतिशत अनुमानित किया है जो रिज़र्व बैंक के अनुमान के अनुरूप है।

7. औद्यौगिक उत्पादन में वृद्धि, जैसाकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में दर्शाया गया है, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 8.3 प्रतिशत से नरम होकर वर्ष 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) में 4.0 प्रतिशत हो गयी है। जबकि पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तु क्षेत्रों वृद्धि नकारात्मक थी, मौलिक वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्रों की वृद्धि में हल्की गिरावट हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) संख्याओं में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव को देखते हुए रिज़र्व बैंक भी समग्र औद्योगिक गतिविधि का आकलन करने के लिए कई अन्य संकेतकों का उपयोग करता है। फरवरी के लिए विनिर्माण पीएमआई से पता चलता है कि औद्योगिक गतिविधि विस्तारवादी स्वरूप की बनी हुई है। जबकि कंपनी बिक्री में वृद्धि वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में मज़बूत रही, जिससे बढ़ती हुई इन-पुट कीमतों को अंतरित करने की कठिनाई परिलक्षित होती है।

मुद्रास्फीति

8. अप्रैल-नवंबर 2011 के दौरान 9 प्रतिशत से अधिक रहने के बाद वर्ष-दर-वर्ष हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति दर फरवरी में 7.0 प्रतिशत तक बढ़ने के पहले सुधरकर दिसंबर में 7.7 प्रतिशत और पुनः जनवरी 2012 में 6.6 प्रतिशत तक हो गई। जबकि थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में सुधार मुख्य रूप से प्राथमिक खाद्य वस्तुओं, ईंधन और विनिर्मित उत्पाद समूहों के योगदान से भी आया।

9. प्राथमिक खाद्य वस्तु मुद्रास्फीति, जो दिसंबर में 0.8 प्रतिशत तक नरम थी, फरवरी में 6.1 प्रतिशत तक बढ़ने के पहले जनवरी 2012 में नकारात्मक (-0.5 प्रतिशत) हो गई। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेज़ वृद्धि के बावजूद ईंधन समूह मुद्रास्फीति दिसंबर में 15.0 प्रतिशत से सुधरकर फरवरी में 12.8 प्रतिशत हो गई जो घरेलू उपभोक्ताओं के प्रति समानुपाती पास-थ्रू के अभाव को दर्शाती है।

10. गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति दिसंबर में 7.9 प्रतिशत से सुधरकर फरवरी 2012 में 5.8 प्रतिशत हो गई जो मौद्रिक कड़ाई के बाद घरेलू मांग में मंदी तथा वैश्विक गैर-तेल पण्य कीमतों में नरमी को दर्शाती है। गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति के गतिशील संकेतक (मौसमी रूप से तीन माह के लिए जारी औसत मुद्रास्फीति दर में समायोजित) में भी सुधार की प्रवृत्ति दिखी।

11. उल्लेखनीय रूप से जनवरी 2012 महीने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति (नई श्रृंखलाओं द्वारा मापी

गई, आधार वर्ष 2010) 7.7 प्रतिशत थी जो यह बताती है कि मूल्य दबाव खुदरा स्तर पर बने हुए हैं।

राजकोषीय स्थितियां

12. मुख्य घाटा संकेतकों द्वारा संपूर्ण वर्ष के लिए बजट अनुमानों को पहले ही पार किए जाने के साथ केंद्र की राजकोषीय स्थितियों में वर्ष 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान गिरावट हुई। कर-राजस्व में मंदी के अलावा सरकार के गैर-योजना व्यय यथा उल्लेख के अनुसार खासकर आर्थिक सहायता, में तेज़ी से वृद्धि हुई है। तीसरी तिमाही समीक्षा में राजकोषीय घाटे में गिरावट मुद्रास्फीतिकारी दबावों को बढ़ा रही है। अतः विश्वसनीय राजकोषीय समेकन मुद्रास्फीति संभावना को स्वरूप प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

मुद्रा, ऋण और चलनिधि स्थितियां

13. वर्ष-दर-वर्ष मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$) वृद्धि और गैर-खाद्य ऋण वृद्धि अर्थव्यवस्था में मंदी को दर्शाते हुए नरम हुई है। चलनिधि स्थितियां उल्लेखनीय रूप से घाटे के स्वरूप में बनी हुई हैं। चलनिधि कड़ाई को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2011- 9 मार्च 2012 के दौरान कुल मिलाकर ₹1,247 बिलियन खुले बाज़ार परिचालनों (ओएमओ) के माध्यम से अधिक स्थायी स्वरूप की प्रारंभिक चलनिधि डालने के लिए कदम उठाया है तथा लगभग ₹800 बिलियन की प्रारंभिक चलनिधि डालते हुए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को 125 आधार अंकों (28 जनवरी से 50 आधार अंक तथा 10 मार्च से 75 आधार अंक) तक कम किया है। चलनिधियां तबसे सुधरी हैं और यह आशा की जाती है कि आनेवाले सप्ताहों में और सुधार होगा।

बाह्य क्षेत्र

14. जबकि व्यापारिक माल निर्यात वृद्धि में गिरावट हुई है, आयात वृद्धि में सुधार व्यापार घाटे को बढ़ाते हुए कम हुआ है। तीसरी तिमाही समीक्षा के बाद रुपया प्रति अमरीकी डॉलर ₹48.69 से ₹50.58 के दायरे में बढ़ा रहा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कम मांग स्थितियों के कारण निर्यात वृद्धि में अवरोध तथा कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि को देखते हुए, चालू खाता घाटे (सीएडी) के उच्चतर बने रहने की संभावना है। सीएडी को वित्तीय सहायता तब तक एक चुनौती बनी रहेगी जब तक वैश्विक स्थितियां अनिश्चित बनी हुई हैं।

संभावना

15. जबकि अमरीका में सुधार में प्रगति हो रही है, यूरो क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि संकुचित हो गई है। यद्यपि, यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा प्रचुर चलनिधि डाले जाने से वित्तीय बाज़ारों में तात्कालिक दबाव कम हुए हैं, सरकारी ऋण समस्या का एक विश्वसनीय समाधान अभी भी किया जाना है। कम होती हुई वैश्विक आर्थिक गतिविधि, यूरो क्षेत्र में अनिश्चितता तथा कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतें उभरती हुई और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि संभावनाओं पर प्रभाव डालेगी।

16. घरेलू मोर्चे पर जबकि अधिकांश संकेतक यह प्रस्तावित करते हैं कि अर्थव्यवस्था मंद हो रही है, वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में कार्यनिष्पादन के तीसरी तिमाही की अपेक्षा बेहतर रहने की आशा की जाती है। मुद्रास्फीति अब तक व्यापक रूप से अनुमानित सीमा के साथ विकसित हो रही है। तथापि, मुद्रास्फीति के ऊर्ध्वगामी जोखिम कच्चे तेल की कीमतों में हाल के उछाल, राजकोषीय गिरावट और रुपया अवमूल्यन से बढ़ गए हैं। इसके अतिरिक्त इंधन, उर्वरक और ऊर्जा में दबी हुई उल्लेखनीय मुद्रास्फीति बनी हुई है क्योंकि लागू कीमतें उत्पादन लागत को पूरी तरह नहीं दर्शाती हैं।

मार्गदर्शन

17. हाल की वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता ने रिज़र्व बैंक को यह जताने के लिए प्रेरित किया है कि और कड़ाई अपेक्षित नहीं है तथा भविष्य की कार्रवाईयों में इन दरों को कम किया जाएगा। तथापि, वृद्धि में गिरावट के होते हुए भी मुद्रास्फीति जोखिम बने हुए हैं जो भविष्य की दर कार्रवाइयों के समय और परिमाण दोनों को प्रभावित करेंगे।

दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया

15 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए) (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों, शेयर सहबद्ध मानदण्डों, एकल एक्सपोज़र सीमा, बेज़मानती अग्रिमों, नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) की विवरणियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने और 31 मार्च 2010 को बैंक के निरीक्षण के दौरान पाए गए अधिनियम की धारा 9, 20 और 46 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

———————

वित्त मंत्री की भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों के साथ बैठक

19 मार्च 2012

श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज बजट तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थितियों से उत्पन्न बाध्यताओं की पृष्ठभूमि के साथ-साथ कठिन घरेलू स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कृषि और मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। उन्होंने वृद्धि-मुद्रास्फीति ट्रेड ऑफ को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को उच्चतर वृद्धि पथ पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने वित्तीय समेकन पर सरकार की पुरज़ोर प्रतिबद्धता पर ज़ोर डाला और उल्लेख किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे कि बजट आकलनों को पूरा किया जाए। वित्त मंत्री ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन देने में रिज़र्व बैंक की सक्रिय भूमिका की सराहना की। उन्होंने यह आग्रह भी किया कि रिज़र्व बैंक संशोधित प्राथमिकता प्राप्त दिशानिर्देशों को शीघ्र अंतिम रूप प्रदान करे।

इसके पहले गवर्नर ने वित्त मंत्री का स्वागत किया और बजट पर उन्हें बधाई दी जो एक कठिन और जटिल वातावरण में तैयार किया गया था। उन्होंने खासकर वित्तीय समेकन के संबंध में रिज़र्व बैंक की चिंताओं के बारे में भी बताया।

केंद्रीय वित्त मंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बजट के उपरांत की पारंपरिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव के अतिरिक्त उप गवर्नर डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, डॉ. सुबीर गोकर्ण, श्री आनंद सिन्हा और श्री हारून आर. खान ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में श्री नमो नारायण मीणा, राज्य मंत्री (व्यय, बैंकिंग और बीमा), श्री आर.एस.गुजराल, वित्त सचिव और सचिव (राजस्व), श्री मोहम्मद हलीम खान, सचिव, विनिवेश, केंद्रीय बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक श्री आर. गोपालन, सचिव, आर्थिक कार्य और श्री डी.के.मित्तल, सचिव, वित्तीय सेवा भी उपस्थित थे। इस बैठक में उपस्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशकों में श्री किरण कर्णिक, डॉ. अनिल काकोडकर, श्री एम.वी.राजीव गौड़ा, श्री वाई.एच.मालेगाम, श्री दीपांकर गुप्ता, श्री जी.एम.राव, श्रीमती इला भट्ट, डॉ. इंदिरा राजारमण और डॉ. नज़ीब जंग शामिल थे।

———————

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वार्षिक सांख्यिकी सम्मेलन 2012 आयोजित किया

21 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक का वार्षिक सांख्यिकी सम्मेलन 2012 चंडीगढ़ में 17-18 मार्च 2012 को सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन ने रिज़र्व बैंक के सांख्यिकीविदों को बाह्य विशेषज्ञों के समक्ष अपना अनुसंधान प्रस्तुत करने और नीति और अनुसंधान के लिए अधिक सार्थक विश्लेषण करने हेतु उनकी प्रतिसूचना प्राप्त करने का एक मंच उपलब्ध कराया।

डॉ. के.सी.चक्रवर्ती और डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर; श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक; रिज़र्व बैंक के चयनित विभागों/कार्यालयों के प्रधान; शिक्षण संस्थाओं से विख्यात सांख्यिकीविद और अर्थशास्त्री तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के सांख्यिकीविदों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

इस सम्मेलन में रिज़र्व बैंक में सांख्यिकीय गतिविधि के कुछ व्यापक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया। दो मुख्य उद्धरण इस प्रकार थे :

- रिज़र्व बैंक जनहित में सांख्यिकी का एक भारी संग्रह उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः इसके ऊपर सामयिक, विश्वसनीय और सार्थक आंकड़े उपलब्ध कराने और उनको प्रचारित करने का दायित्व आता है, यह कार्य प्रौद्योगिकी का अधिकतम यथा संभव प्रयोग करके करना होगा।
- सांख्यिकीय अनुसंधान में परिचालनात्मक क्षेत्र जैसेकि बैंक पर्यवेक्षण शामिल किए जाने तथा इसके अतिरिक्त जोखिम आकलन, ग्रामीण ऋण और वित्तीय समावेशन के लिए डेटाबेस विकसित करने की भी ज़रूरत है।

इस सम्मेलन में बैंकिंग आंकड़ों की व्यापकता, इसमें सुधार की ज़रूरत और इसे सूक्ष्म स्तर पर विकसित करने, नीति निर्माण में

इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए सूक्ष्मातिसूक्ष्म और निरंतर आंकड़ों की ज़रूरत के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें बैंकों की विद्यमान आंकड़ा प्रणालियों के और अधिक प्रभावी उपयोग के माध्यम से अनर्जक आस्तियों के क्षेत्रीय और खण्डवार वितरण जैसे क्षेत्रों के डेटाबेस को मज़बूत करने की ज़रूरत को भी रेखांकित किया गया।

आंकड़ा अंतरालों को दूर करने में विभाग द्वारा प्रयास करने, भविष्य के सर्वेक्षणों को शुरू करने, अनुसंधान इनपुट उपलब्ध कराने तथा आम जनता के उपयोग के लिए आंकड़ा प्रसारण जैसे भावी कार्यों के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई।

इनमें क्षेत्रीय कृषि स्थितियों और मूल्य गतिविधियों के लिए सांख्यिकी आसूचना तैयार करने; खुदरा बिक्री पर तिमाही सर्वेक्षण शुरू करने; प्रतिदर्श को सुदृढ़ करने तथा क्षमताओं का अनुमान लगाने और परिचालनात्मक मुद्दों के समाधान के लिए सभी विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में व्यापक आधारित सांख्यिकीय अनुसंधान शामिल थे।

इस सम्मेलन के तकनीकी सत्र में प्रतिदर्श तैयार करने, बाह्य क्षेत्र गतिविधियों, बैंकिंग और कंपनी क्षेत्र, सर्वेक्षणों, जोखिम आकलन और अन्य संगत क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई।

रिज़र्व बैंक की भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) के लिए एक सुविधापरक नया इंटरफेस इस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया जो आम जनता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (URL http://dbie.rbi.org.in) पर अब खुला हुआ है।

तमिलनाडु वॉटर इन्वेस्टमेंट्स कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

22 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए तमिलनाडु वॉटर इन्वेस्टमेंट्स कंपनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : अनुराग, नं.15, मुरेज़ गेट रोड, अल्वारपेट, चेन्नै-600018 है, को 15 जून 2002 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00728, 3 फरवरी 2012 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से स्वेच्छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

एलएसपी फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

22 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षी आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए एलएसपी फाइनेन्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : नं.12, पोन्नेरी हाई रोड, मनाली न्यू टाऊन, चेन्नै-633103 है, को 6 नवंबर 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.0035, 17 जनवरी 2012 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी स्वेच्छा से इस कारोबार से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

ऐशले होल्डिंग्ज लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

22 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए ऐशले होल्डिंग्ज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 19, राजाजी सलाई, चेन्नै-600001 है, को 27 मार्च 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00202, 31 जनवरी 2012 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से स्वेच्छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग

वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

आर.आर.फाइनैंस एण्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

27 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए आर.आर.फाइनैंस एण्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय:एच सं.301, बी-साईदत्त अपार्टमेंट्स, श्रीनिवास नगर कॉलोनी (पूर्व), अमीरपेट, हैदराबाद-500038 है, को 4 दिसंबर 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.09.00227, 18 जनवरी 2012 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से स्वेच्छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अप्रैल-सितंबर 2012-13 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु समय-सारणी

27 मार्च 2012

संस्थागत और खुदरा निवेशकों को अपनी निवेश योजना सक्षमता से करने में सहायता देने और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार को पारदर्शिता और स्थिरता उपलब्ध कराने के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गमों की संकेतक समय-सारणी जारी करने की प्रथा जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, भारत सरकार के परामर्श से राजकोषीय वर्ष 2012-13 (1 अप्रैल से 30 सितंबर 2012) की पहली छमाही के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए ₹370,000 करोड़ की राशि के लिए एक सांकेतिक समय-सारणी निम्नानुसार जारी की जा रही है:

भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए समय-सारणी
(1 अप्रैल 2012 से 30 सितंबर 2012 तक)

क्र. सं.	नीलामी का सप्ताह	राशि (₹ करोड़)	प्रतिभूति-वार आबंटन
1	2-6 अप्रैल 2012	18,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹7,000-8,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹3,000-4,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹3,000-4,000 करोड़ के लिए
2	9-13 अप्रैल 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
3	16-20 अप्रैल 2012	16,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
4	23-27 अप्रैल 2012	16,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
5	30 अप्रैल - 4 मई 2012	18,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹7,000-8,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹3,000-4,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹3,000-4,000 करोड़ के लिए
6	7-11 मई 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
7	14-18 मई 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
8	21-25 मई 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
9	28 मई - 1 जून 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
10	4-8 जून 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए

क्र. सं.	नीलामी का सप्ताह	राशि (₹ करोड़)	प्रतिभूति-वार आबंटन
11	18-22 जून 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
12	25-29 जून 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
13	2-6 जुलाई 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
14	9-13 जुलाई 2012	16,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
15	16-20 जुलाई 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
16	23-27 जुलाई 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
17	30 जुलाई - 3 अगस्त 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
18	6-10 अगस्त 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
19	13-17 अगस्त 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
20	20-24 अगस्त 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
21	27-31 अगस्त 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
22	3-7 सितंबर 2012	16,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
23	17-21 सितंबर 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
24	24-28 सितंबर 2012	15,000	i) 5-9 वर्षीय प्रतिभूति ₹4,000-5,000 करोड़ के लिए ii) 10-14 वर्षीय प्रतिभूति ₹6,000-7,000 करोड़ के लिए iii) 15-19 वर्षीय प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए iv) 20-वर्षीय और उससे ऊपर की प्रतिभूति ₹2,000-3,000 करोड़ के लिए
कुल		**370,000**	

जैसाकि अब तक होता रहा है, इस समय-सारणी में समाहित सभी नीलामियों में गैर-स्पर्धी नीलामियों की सुविधा रहेगी जिसके अंतर्गत अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत निर्दिष्ट खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा।

विगत की भांति, केंद्र सरकार/रिज़र्व बैंक के पास यह लचीलापन बना रहेगा कि वह भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाज़ार स्थितियों तथा अन्य संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए विधिवत सूचना देकर उक्त सारणी में दर्शायी गयी अधिसूचित राशि, निर्गम अवधि, परिपक्वता, आदि में आशोधन कर सके और विभिन्न प्रकार के लिखतों को जारी कर सकें ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भुसावल पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., भुसावल, जलगांव (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द किया

28 मार्च 2012

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि भुसावल पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., भुसावल, जलगांव (महाराष्ट्र) अर्थक्षम नहीं रह गया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 मार्च 2012 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक

का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक महाराष्ट्र से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अंतर्गत ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए 31 मार्च 1980 को लाइसेंस मंजूर किया गया था। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 के अंतर्गत (इसके बाद "अधिनियम " के नाम से उल्लेख किया गया है) 31 मार्च 2006 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि सकल और निवल एनपीए, सकल और निवल अग्रिमों के क्रमशः 19.0% और 15.2% मूल्यांकित किए गए। वर्ष 2005-06 में मूल्यांकित कुल हानि (-) ₹34.15 लाख हुई।

31 मार्च 2006 की वित्तीय स्थिति के लिए किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बैंक को परिचालनात्मक अनुदेश जारी किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक के 20 सितंबर 2006 के पत्र के माध्यम से वैयक्तिक/ समूह उधारकर्ता के लिए बैंक की एक्सपोजर सीमा 10% तथा पूंजी निधि के 25% तक की गयी। 5 फरवरी 2009 के पत्र द्वारा शोध्य ऋण के रूप में वर्गीकृत ऋणों के अलावा नए ऋण देने या ऋण का नवीकरण करने के लिए बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया।

31 मार्च 2007; 31 मार्च 2008; 31 मार्च 2009; 31 मार्च 2010 की स्थिति के लिए किए गए निरीक्षणों से यह पता चला कि बैंक के वित्तीय मानदण्ड में और अधिक गिरावट जारी रही।

अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत 31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति के लिए बैंक के सांविधिक निरीक्षण से बैंक की और अधिक खराब वित्तीय स्थिति तथा अन्य उल्लंघनों का पता चला। उसकी मूल्यांकित निवल संपत्ति (-) ₹420.77 लाख थी तथा मूल्यांकित सीआरएआर (-) 13.3% था । जमाराशि का 27.1% तक मूल्यह्रास हुआ था। कुल और निवल एनपीए कुल और निवल अग्रिम के क्रमशः 88.5% और 69.7% हुआ। 31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति के लिए बैंक की मूल्यांकित निवल हानि ₹264.64 लाख थी। बैंक ने 31 मार्च 2011 को ₹813.03 लाख की उपचित हानि दर्शाई।

गिरती हुई वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को 24 अक्तूबर 2011 के निदेश शबैंवि. केंका. बीएसडी1/ डी-60/ 12.22.027 / 2011-12 के माध्यम से अधिनियम की धारा 35 ए के तहत बैंक की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हुए 24 अक्तूबर 2011 से सर्वसमावेशी निदेशाधीन रखा गया।

उपर्युक्त गंभीर अनियमितताओं से यह पता चला कि बैंक का कारोबार जमाकर्ताओं के हित में नहीं था। बैंक ने अधिनियम की धारा 11(1), 22(3)(ए), 22(3)(बी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था। 31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 23 नवंबर 2011 के पत्र के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए 31 मार्च 1980 को जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए तथा बैंक का समापन क्यों न किया जाए। 21 दिसंबर 2011 के पत्र के माध्यम से कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर की जांच की गयी लेकिन उसे संतोषजनक नहीं पाया गया। बैंक ने कोई विलयन प्रस्ताव या पुनरुज्जीवन /पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत नहीं की थी।

अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से दि भुसावल पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., भुसावल, जलगांव (महाराष्ट्र) के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप दि भुसावल पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., भुसावल, जलगांव (महाराष्ट्र) को अधिनियम की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित "बैंकिंग व्यवसाय" करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है जिसमें जमाराशियां स्वीकार करना और उन्हें वापस लौटाना भी शामिल है।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती के. एस. ज्योत्सना, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क का विवरण नीचे दिया गया हैः

डाक पताः शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंज़िल, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई-400018; टेलीफोन सं. : (022) 24920225; फैक्स सं.ः (022) 24935495.

———————

दि हरीज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हरीज, जिला पाटण (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया

28 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि हरीज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हरीज, जिला पाटण (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20ए तथा काला धन आशोधन (एएमएल) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा प्रस्तुत व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजकोषीय वर्ष 2012-13 के लिए राज्य सरकारों को सामान्य अर्थोपाय अग्रिम अपरिवर्तित रखा

29 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि वर्ष 2012-13 के लिए संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित राज्य सरकारों के लिए सकल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा ₹10,240 करोड़ रखी गई है। पिछले वर्ष की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस योजना की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। यह निर्णय वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की राज्य-वार सीमा की समीक्षा के बाद लिया गया है।

---

30 जून 2012 को समाप्त तिमाही के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामी समय-सारणी

29 मार्च 2012

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो परिचालनों के लिए नीलामियाँ सभी शनिवार, रविवार और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित छुट्टियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित आरटीजीएस छुट्टियों को छोड़कर मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर आयोजित की जाएगी। चलनिधि समायोजन सुविधा परिचालनों की समय अवधि एक दिवस (यदि अन्यथा अधिसूचित किया जाता है) और तदनुसार लेनदेन का रिवर्सल चरण अगले कार्य दिवस पर देय होगा।

वर्तमान शर्तें अपरिवर्तित हैं जिसके अंतर्गत चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामियाँ आयोजित की जाती है।

सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया

29 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर लागू परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने, बेजमानती अग्रिमों के लिए निर्धारित एक्सपोज़र सीमा का अनुपालन नहीं करने, निदेशकों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों को रिपोर्ट नहीं करने, अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों आदि संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिद्धी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दंड लगाया

29 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का

प्रयोग करते हुए दि सिद्धी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर उनके तुलन-पत्र में लगाए गए दण्ड को प्रकट नहीं करने और बिना किसी उचित कारण के प्रतिभूति लेनदेन रिपोर्ट की रिपोर्टिंग में अत्यधिक विलंब के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा प्रस्तुत व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

वित्तीय वर्ष 2012-13 की पहली छमाही के लिए भारत सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएँ निर्धारित

30 मार्च 2012

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 की पहली छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमाएँ निम्न प्रकार होंगीः

- 01 अप्रैल 2012 से 30 जून 2012 तक ₹50,000 करोड़
- 01 जुलाई 2012 से 30 सितंबर 2012 तक ₹45,000 करोड़

रिज़र्व बैंक बाजार ऋण के नए निर्गम जारी कर सकता है जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी।

रिज़र्व बैंक के पास यह लचीलापन बना रहेगा कि वह व्याप्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय सीमाओं में संशोधन कर सके।

अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर निम्न प्रकार होगाः

क) अर्थोपाय अग्रिम : रिपो दर
ख) ओवरड्राफ्ट : रिपो दर से दो प्रतिशत अधिक

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भारत सरकार द्वारा बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम शेष शुक्रवार को, भारत सरकार के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख और 30 जून को अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक लेखाबन्दी को ₹100 करोड़ से कम नहीं तथा अन्य दिनों में ₹10 करोड़ से कम नहीं होगा।

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच 26 मार्च 1997 के करार के प्रावधानों के अनुसार लगातार दस कार्यदिवसों के ओवरड्राफ्ट के बाद इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2012-13 की दूसरी छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं सितंबर 2012 में निर्धारित की जाएंगी।

राज्य वित्तः वर्ष 2011-12 के बज़ट का एक अध्ययन

31 मार्च 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "राज्य वित्तः 2011-12 के बज़टों का अध्ययन" जारी किया, यह एक ऐसा प्रकाशन है जो राज्य सरकारों के वित्त के आँकड़े, उनका विश्लेषण और आकलन उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2011-12 के लिए राज्य सरकारों के बज़ट राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों की वापसी तथा छठे वेतन आयोग के लाभों के प्रभाव को कम करने की पृष्ठभूमि के समक्ष व्यय नियंत्रण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के द्वारा राजकोषीय सुधार प्रक्रिया को आगे ले जाने का प्रस्ताव करते हैं। एक को छोड़कर सभी राज्यों ने राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा अधिक से अधिक 2014-15 तक राजकोषीय घाटे और ऋण स्तरों में क्रमिक कमी लाने के लक्ष्य के साथ तेरहवें वित्त आयोग (टीएचएफसी) की अनुशंसाओं के अनुरूप अपने राजकोषीय दायित्व और बज़ट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियमों/नियमावलियों को संशोधित किया है।

राज्य वित्त में रिज़र्व बैंक की भूमिका

'राज्य वित्त में रिज़र्व बैंक की भूमिका' पर मूल अध्याय में रिज़र्व बैंक के दायित्वों का वर्णन किया गया है जो वर्षों के दौरान बैंकर तथा राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में सेवा करते हुए अपनी अधिदेशित भूमिकाओं से बहुत आगे बढ़ गए हैं। राज्यों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक सभी राज्यों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। यह राजकोषीय अनुशासन और मौद्रिक स्थिरता पर कोई प्रभाव डाले बिना राज्यों की अल्पकालिक संसाधन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं तथा ओवरड्राफ्ट विनियमन का नियंत्रण भी करता है। ऋण प्रबंधक के रूप में रिज़र्व बैंक ने बाजार उधारों के लिए प्रशासित प्रणाली से संपूर्ण नीलामी प्रणाली में अंतरण

करने हेतु राज्यों को सक्षम बनाया है। इन पारंपरिक भूमिकाओं के अलावा रिज़र्व बैंक एक परामर्शी भूमिका भी निभाता रहा है और इसने राज्यों को राजकोषीय निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उभरे नीतिगत मुद्दों पर परामर्श देने के अतिरिक्त, राज्यों में नियम आधारित मध्यावधि राजकोषीय समेकन शुरू करने में भी मुख्य भूमिका निभाई है। प्रत्येक वर्ष रिज़र्व बैंक के द्वारा राज्यों की सूचनाओं का प्रसार और उनका विश्लेषण न केवल नीति निर्णयों को शुरू करने बल्कि इस क्षेत्र में अनुसंधान में सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन गया है।

राज्य वित्त संबंधी मुद्दे

यह अध्ययन राज्य सरकारों के महत्व और चिंताओं के विभिन्न मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है। यद्यपि, गोवा को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने एफआरबीएम अधिनियमों/नियमावलियों को संशोधित किया है, उनमें से अधिकांश ने राज्य वित्त के पारदर्शी आकलन की सहायता के लिए अतिरिक्त प्रकटन के प्रावधानों को शामिल नहीं किया है। सार्वजनिक व्यय प्रणाली की अनुशंसित पुनर्संरचना प्रभावी परिणामों के लिए पूँजी व्यय के बेहतर प्रबंध में सहायता करेगी। तथापि, सार्वजनिक व्यय प्रबंध प्रणाली की सफल पुनर्संरचना के लिए योजना आयोग, केंद्र और राज्य सरकारों सहित सभी स्तरों पर सभी राज्य मशीनरियों में इस नई प्रणाली के समुचित आमेलन की जरूरत होगी। केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के परिचालन के तर्कसंगतीकरण से, इन योजनाओं में लचीलेपन के अभाव के मुद्दों, राज्यों से काउंटर पार्टी निधीयन की कमी तथा क्षेत्रीय स्तर पर बहुत कम विस्तार वाले संसाधनों के साथ योजनाओं की बड़ी संख्या की न्यूनतम उपयोगिता के समाधान की, आशा की जाती है। राज्य ऊर्जा उपयोगिताओं की वित्तीय हानियाँ राज्य वित्त पर एक भार बनती जा रही हैं जिसमें न केवल वितरण उपयोगिता की ऋण देयता पर पुनः चर्चा करने बल्कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने तथा सांविधिक शुल्क संशोधनों से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु आवश्यक सुधार करने की भी जरूरत है। राजकोषीय पारदर्शी प्रयासों के एक भाग के रूप में राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके वित्त में विशेष प्रयोजन सुविधा/सार्वजनिक-निजी सहभागिता स्वरूप के माध्यम से शुरू किए गए परियोजना वित्त सहित बजटेतर गतिविधियों से जुड़ी स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों देयताएं शामिल हैं। राज्य वित्त खासकर, उन राज्यों को नियंत्रित करने वाले संरचनात्मक मुद्दों पर व्यापक ध्यान केंद्रित करने की भी जरूरत है जो वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 के संकट वाले वर्षों से पहले नियम आधारित राजकोषीय सुधार शुरू नहीं कर सके हैं।

इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

राजकोषीय समेकन के वर्ष 2011-12 में जारी रहने का अनुमान लगाया गया है साथ ही समेकित राजस्व खाते में परिवर्तन होगा -

- समेकित राजस्व खाते में दो वर्षों के अंतराल के बाद 2011-12 में घाटे से अधिशेष की ओर आने का अनुमान लगाया गया है जो मुख्य रूप से राजस्व व्यय में संकुचन के कारण होगा।
- राजस्व खाते में सुधार से न केवल बढ़े हुए पूँजी व्यय हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने बल्कि वर्ष 2010-11 (आरई) की तुलना में वर्ष 2011-12 (बीई) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात में 0.5 अंकों की कमी की आशा है। तथापि, वर्ष 2011-12 के लिए परिकल्पित राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात मुख्य रूप से उच्चतर पूँजी व्यय के कारण बारहवें वित्त आयोग वार्षिक पथ से अधिक है।

प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में सुधार संपूर्ण राज्यों में व्यापक आधारित होना चाहिए

- अधिकांश राज्यों ने वर्ष 2011-12 में अपने राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए बजट प्रावधान किया है। जैसाकि बारहवें वित्त आयोग द्वारा परिकल्पित है, 28 में से 23 राज्यों में उल्लेखनीय राजस्व अधिशेष प्रत्याशित हैं। 2011-12 के दौरान 18 राज्यों में जीएफडी-जीएसडीपी में अनुपात गिरावट का अनुमान लगाया गया है। यद्यपि, पूँजी व्यय - जीएसडीपी अनुपात इस अवधि के दौरान 17 राज्यों में उच्चतर रखा गया है।
- राजस्व खाते में सुधार का बजट 16 राज्यों में राजस्व व्यय-जीएसडीपी अनुपात में कमी के द्वारा किया गया है।

प्रमुख व्यय अनुपातों में गिरावट से राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता के संबंध में चिंता होती है

- व्यय की गुणवत्ता के संबंध में राज्य-वार स्थिति यह दर्शाती है कि वर्ष 2011-12 के दौरान 28 राज्यों में से 15 राज्यों ने विकास व्यय - जीएसडीपी अनुपात में गिरावट के लिए बजट अनुमान किया है तथा 16 राज्यों ने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में सामाजिक क्षेत्र व्यय-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट के लिए बजट अनुमान किया है। इसी अवधि के दौरान 15 राज्यों में प्रतिबद्ध व्यय - जीएसडीपी अनुपात में बढ़ोतरी का

अनुमान लगाया गया है। इससे राज्य स्तर पर किए जाने वाले राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

राज्यों के समग्र ऋण-जीडीपी अनुपात में गिरावट वर्ष 2011-12 में जारी रहेगी ।

- राज्यों का समेकित ऋण-जीडीपी अनुपात वर्ष 2009-10 के 25.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 में 23.5 प्रतिशत हो गया साथ ही संपूर्ण राज्यों में (विशेष श्रेणी में दो को छोड़कर) ऋण- जीएसडीपी अनुपात में कमी आई। वर्ष 2011-12 के दौरान और कमी करने से 22.5 प्रतिशत के ऋण-जीडीपी अनुपात के वर्ष के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा 26.1 प्रतिशत की अनुशंसित सीमा से बहुत नीचे रहने की आशा है। यह प्रवृत्ति मध्यावधि में जारी रहेगी क्योंकि संशोधित एफआरबीएम ने संबंधित राज्यों के लिए ऋण- जीएसडीपी अनुपात में कमी का एक क्रमिक मार्ग निर्धारित किया है।

- बाज़ार ऋण के प्रति बकाया देयताओं का संघटनात्मक बदलाव वर्ष 2010-11 के दौरान जारी रहा और इसमें वर्ष 2011-12 के दौरान पुनः वृद्धि के लिए बज़ट अनुमान किया गया है। एनएसएसएफ (ऋण का उच्च लागत संघटक) के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति को,राजकोषीय वर्ष 2012-13 के 80 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक राज्यों के लघु बचत वसूली के अधिदेशात्मक आबंटन में कमी के आलोक में और बल मिलता है।

- ऋण- जीएसडीपी अनुपात में कमी की सहायता से, 14 गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के राजस्व प्राप्ति की तुलना में ब्याज भुगतान अनुपात के वर्ष 2010-11 (आरई) की अपेक्षा वर्ष 2011-12 (बीई) में कम रहने की आशा है।

यह प्रकाशन आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग (एफएडी) में तैयार किया गया है। पिछले अंकों के साथ वर्तमान अंक भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। वर्ष 1950-51 से वर्ष 2010-11 तक राज्य वित्त पर सभी आलेख/अध्ययन एक नियम पुस्तिका सीडी में उपलब्ध हैं जिसे जुलाई 2011 में जारी किया गया था। इस प्रकाशन पर अभिमत निदेशक, राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को भेजे जा सकते हैं। अभिमत ई-मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं।

———————